

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 560, 561, 562, 563, 564, 565 566 / 2009 / जयपुर

मैसर्स वेंकटेश्वर ट्रेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी,
प्रा.लि., सी-67, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, संभाग-द्वितीय
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या 1300 / 11 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-जे, जयपुर।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

मैसर्स वेंकटेश्वर ट्रेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी,
प्रा.लि., सी-67, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.कुमार
अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 11.12.2015

आदेश

अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

1. अपीलार्थी कम्पनी (जिसे आगे "कम्पनी" कहा जायेगा) की ओर से यें अपीलें उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 20.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जो कमशः अपील संख्या 211, 212, 213, 214, 215, 216 एवं 217/अपील्स-II/आरवीएटी/जयपुर/बी/2008-09 के संबंध में हैं तथा जिसमें कम्पनी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 26, 55 व 61 तहत पारित आदेश दिनांक 23.09.2008 में तालिकानुसार निर्धारण वर्षों

लगातार.....2

के लिये पारित निर्धारण आदेशों के जरिये कायम मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा भी, अपीलीय अधिकारी के अपील संख्या 40/2010 आदेश दिनांक 29.12.2010, जिसमें उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.03.2010 के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है, के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

तालिका

(मांग राशि रु. में)

क्र. सं.	अपील संख्या	क.नि.अवधि	क.नि.आ.	कर	ब्याज	शास्ति
1.	560/09	1.4.06 से 30.6.06	23.09.08	1,11,031	31,089	2,20,062
2.	561/09	1.7.06 से 30.9.06	23.09.08	96,174	29,044	1,92,347
3.	562/09	1.10.06 से 31.12.06	23.09.08	1,23,500	27,170	2,47,000
4.	563/09	1.7.07 से 31.3.07	23.09.08	1,26,756	24,084	2,53,512
5.	564/09	1.4.07 से 30.8.07	23.09.08	1,12,646	18,023	2,25,292
6.	565/09	1.7.07 से 30.9.07	23.09.08	1,39,322	18,112	2,78,644
7.	566/09	1.10.07 से 31.12.07	23.09.08	1,71,827	17,183	3,43,654
8.	1300/11	1.08.08 से 31.03.08	31.03.10	1,85,700	44,568	3,71,400

2. चूंकि आठों अपील प्रकरणों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं। अतः आठों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 10.03.2008 को किया गया था। रिकॉर्ड की जाच पर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में सन कंट्रोल इंटरनेशनल लाईट विंडो फिल्मस की बिक्री की जाकर 4 प्रतिशत की दर से कर चुकाया गया है किन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा पॉलिस्टर फिल्म को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना माना एवं इसकी बिक्री पर 8.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर आरोपण किया गया है तथा इस क्रम में अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज भी आरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य दर्शाने के कारण उसके द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत उक्त प्रकरणों में शास्तियां आरोपित की गयी है। उक्त सभी बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई कर समस्त अपीलें आदेश दिनांक 20.03.2009 द्वारा खारिज कर दी गईं। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त निर्णय दिनांक 31.03.2009 को उक्त वर्णित अपीलों के जरिए विवादित किया गया है। साथ ही वर्ष 2007-08 के अन्तिम त्रैमास में आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 29.12.2010 विभाग द्वारा विवादित किया गया है।

- 361

4. प्रकरण पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।
5. (1) अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक, अनुचित, क्षेत्राधिकार के बाहर एवं प्रकरणों के तथ्यों के विरुद्ध होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दू पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेशों में कोई विवेचन नहीं किया गया है अतः पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा रिटर्नस में टर्न ओवर को घोषित किया गया है तथा इनकी जांच पर निर्धारण अधिकारी को रिटर्नस में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई तथ्य नहीं पाये गये।

(2) अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने धारा 26(1) की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए कथन किया कि इस धारा के तहत वे ही प्रकरण आते हैं, जिनमें कि निर्धारण अधिकारी के वक्त किसी आवृत्त का कर निर्धारण नहीं हुआ है। उन्होंने कथन किया कि नियमित वृत्त के निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचित कर दर के अनुसार अपीलार्थी का कर निर्धारण कर दिया गया था, अतः प्रकरणों में अधिनियम की धारा 26 आकर्षित नहीं होने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा इस धारा के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही अविधिक एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है। उन्होंने यह कथन भी किया कि आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिस वस्तु की कर दर अधिसूचित है, तो उसका अंतिम कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नियमित वृत्त के निर्धारण अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी है, अतः क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

(3) विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरणों में मुख्य आधार यह माना गया है कि उक्त वस्तु इंडस्ट्रियल इनपुट की श्रेणी में नहीं आती है अतः यह अधिनियम के सिड्यूल IV के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 225 से कवर्ड नहीं होती है तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उन्होंने कथन किया कि यह बहस का एवं विधिक बिन्दू है तथा इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा करापवंचन होना नहीं माना गया है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी के स्तर पर कर का कोई अपवंचन नहीं हुआ है अतः ऐसी स्थिति में प्रतिकरावंचन वृत्त के अधिकारी का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है।

(4) विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा पॉलीस्टर फिल्म का विक्रय किया गया है। यह पॉलीस्टर फिल्म गर्मी एवं प्रकाश को कंट्रोल करने की शक्ति रखती है जो कि 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उन्होंने कथन किया अपीलार्थी द्वारा विक्रीत वस्तु अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 69 सपठित सिड्यूल IV के पार्ट बी की प्रविष्टि

for

-282

लगातार.....4

संख्या 225 के अनुसार इंडस्ट्रियल इनपुट की श्रेणी में आने के कारण 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। इसके साथ ही अपील बहस के समय यह कथन भी किया गया कि पॉलीस्टर फिल्म इसी सिड्यूल की प्रविष्टि संख्या 70 के अधीन इंसूलेटर की श्रेणी में आने के कारण भी 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा विक्रीत वस्तु पॉलिस्टर फिल्म अनुसूची IV के अधीन 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होने के कारण अपीलार्थी द्वारा सही रूप से कर का भुगतान किया गया है। अपीलार्थी द्वारा किसी टर्न ओवर को लेखा पुस्तकों से नहीं छिपाया गया है तथा संपूर्ण टर्न ओवर को लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है। उपर्युक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है।

(5) विद्वान अभिभाषक ने अपील की सुनवायी के दौरान मैसर्स जैन एक्सपोर्ट्स प्रा.लि. एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 71 एसटीसी 173 (एस.सी.) से संबंधित न्यायिक दृष्टांत की छाया प्रति पेश की। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों को भी उद्धरित किया :-

(1986) 61 एसटीसी 393, (1980) 45 एसटीसी 197 (एस.सी.), (1980) 45 एसटीसी 345 (राज. डीबी), (1992) 87 एसटीसी 362 (राज.एस.बी.), (1995) 97 एसटीसी 238 (राज.एस.बी.), (1994) 93 एसटीसी 346 (राज.एस.बी.), (1980) 110 एसटीसी 145 (आरटीटी), (1999) 25 आरटीजेएस 70 (आरटीटी), (1998) 23 आरटीजेएस 16 (आरटीटी), (1997) 22 आरटीजेएस 104 (आरटीबी), (1995) 17 आरटीजेएस 122 (आरटीबी) एवं इन प्रकरणों में स्थापित सिद्धान्तों के आलोक में अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने दोनों अवर अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णयों का समर्थन किया एवं स्पष्ट किया कि अनुसूची IV के पार्ट बी की प्रविष्टि संख्या 225 एक exhasustive प्रविष्टि है। इस प्रविष्टि में अंकित वस्तुएं तथा इंसूलेटिंग वॉर्निश, इंसूलेटिंग टेप, लेदराईज्ड पेपर, एम्पायर एण्ड फाईबर ग्लास क्लॉथ एवं स्लीक्स विद्युत के कुचालक है। इस संदर्भ में प्रविष्टि harmonius consturction करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि इनके साथ ही पॉलीस्टर फिल्म का समावेश किया गया है अतः पॉलीस्टर फिल्में इन वस्तुओं के समान ही विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होगी, तब ही इस प्रविष्टि के अधीन 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्वाधीन होगी। चूंकि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विक्रीत पॉलीस्टर फिल्म के विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होने के संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य अपील स्तर तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अपितु अपीलार्थी कम्पनी का कथन कि यह उष्मा/प्रकाश को आंशिक रूप से रिजेक्ट करती है अतः इसे इंसूलेटिंग मेटेरियल माना जाकर 4 प्रतिशत से कर

दायित्वाधीन माना जाये, harmonious construction के सिद्धान्त के अनुसार प्रथम दृष्टया ही स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि इस प्रविष्टि की अन्य समस्त वस्तुएँ विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक है। यही नहीं अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद की पैकिंग पर अंकित विवरण से यह स्पष्ट है कि विवादित उत्पाद विशिष्ट रूप से मोटर वाहनों में, केन्द्रीय मोटर व्हीकल्स नियम, 1989 के मानदण्डों के अनुरूप, उपयोगार्थ निर्मित किया गया है अतः अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विक्रीत वस्तु इस श्रेणी में नहीं आती है। अतः प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं वर्ष 2007-08 के अन्तिम त्रैमास के कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरुद्ध पारित किये गये अपीलीय आदेश दिनांक 29.12.2010 को निरस्त करने के अलावा ही अन्य प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया गया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक एवं उप राजकीय अभिभाषक के तर्कों को सुना गया एवं रिकार्ड का परिशीलन किया गया। आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा प्रचलित अधिसूचना प. 3(ए)(9)ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97-1 दिनांक 01.04.1997 के द्वारा सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी जो एंटीइवेजन वृत्तों में पदस्थापित है को अधिकारिता प्रदान करती है। अधिकारिता संबंधी सूचना राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 के अधीन प्रचलित की गयी थी। राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 में भी उक्त नियमों के समान ही प्रावधान हैं ऐसी स्थिति में अधिनियम, 2003 की धारा 100(2)(ए) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अंकित अधिसूचना दिनांक 01.04.1997 मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 एवं नियम 2006 के प्रावधानों के अनुरूप होने से 1 अप्रैल, 2006 के पश्चात भी सतत रूप से प्रभावी है अतः इन प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी को नियमानुसार कर निर्धारण की अधिकारिता प्राप्त होना अभिनिर्धारित किया जाता है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील के आधार संख्या 5 के अनुसार अधिनियम की धारा 26(1) के स्पष्टीकरण की ओर ध्यानाकर्षण कर यह कथन किया है कि इस स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश विधिक नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा विवादित संब्यवहारों के अनुसार वास्तविक कर दायित्व विवरणियों में घोषित नहीं किया माना गया है अतः अधिनियम के अधीन विहित कर दर से कर निर्धारण पूर्व में नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर राशि का कम कर निर्धारण होने के कारण, निर्धारण अधिकारी को धारा 26 के अधीन पुनः कर दर से कर निर्धारण किये जाने की अधिकारिता प्राप्त है। इस क्रम में राजस्थान कर बोर्ड की खण्ड पीठ द्वारा मैसर्स ग्रिण्डवेल नोर्टन लि. जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-प्रथम, जयपुर (2003) 5 आर.एस.टी.आर. जे-52 के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी धारा 26 के अधीन विधि के अनुसार देय कर के दायित्व निर्धारण हेतु

पुनः कर निर्धारण करने की अधिकारिता रखते हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बी, उदयपुर बनाम मैसर्स मेटल्स एण्ड एलॉयस इण्डिया प्रा. लि. एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नं. 286/2005 के निर्णय दिनांक 16.09.2008 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कर दर सही तौर पर प्रदर्शित नहीं की गई है तो टर्नओवर का छुपाना (escapement) माना जायेगा एवं ऐसे प्रकरण को खोला जाकर पुनः कर निर्धारण किये जाने को उचित ठहराया गया है। अतः इन निर्णयों के प्रकाश में अपीलार्थी का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

9. अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया है कि पॉलीस्टर फिल्म इंडस्ट्रियल इनपुट की श्रेणी में नहीं आने से अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 70/पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 225 के अधीन 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य नहीं होकर अनुसूची V के अनुसार 12.5 प्रतिशत से कर योग्य होगी। चूंकि प्रकरण कर दायित्व के संबंध में मत भिन्नता पर आधारित है अतः ये करापवंचन अथवा कर दायित्व के परिवर्जन के प्रकरण नहीं होने से निर्धारण अधिकारी को इन प्रकरणों में अधिकारिता प्राप्त नहीं है परन्तु रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना घोषित किया गया है, अतः अपीलार्थी द्वारा घोषित कर दर से उच्चतर कर दर संदेय होना अभिनिर्धारित किया जाता है तो निर्धारण अधिकारी की क्षेत्राधिकारिता विधिसम्मत है।

10. उक्त विधिक एवं न्यायिक विवेचन के अनुसार अधिकारिता संबंधी बिन्दु पर अपीलार्थी के तर्क अस्वीकार किये जाते हैं।

11. विचाराधीन सभी अपीलों में मुख्य विवादित बिन्दू यह है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रीत पॉलीस्टर फिल्म अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 69 सपठित सिड्यूल IV के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 225 अथवा अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 70 के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है या यह वस्तु अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उसके द्वारा पॉलीस्टर फिल्म जो कि उष्मा या प्रकाश का रिजेक्शन करती है, का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से किया जा रहा है अतः अधिनियम के शिड्यूल 4 के पार्ट बी की प्रविष्टि संख्या 225 के अधीन विशिष्ट रूप से अंकित किये जाने के कारण 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उन्होंने यह भी कथन किया कि यह उत्पाद उद्योग एवं वर्कशॉप में भी काम आता है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक रूप में अपीलार्थी की ओर से यह भी कथन किया गया कि शिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 70 के अधीन "इंसूलेटर्स" को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना दर्शाया गया है। चूंकि अपीलार्थी



- 26/2

लगातार.....7

का उत्पाद पॉलीस्टर फिल्म शब्दकोष के अर्थ के अनुसार "इंसूलेटर" की श्रेणी में आता है अतः इस पर कर दर प्रविष्टि संख्या 70 के अधीन 4 प्रतिशत रहेगी न कि 12.5 प्रतिशत जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम के अधीन इंसूलेटर्स अथवा अपीलार्थी द्वारा विक्रीत वस्तु पॉलीस्टर फिल्म को परिभाषित नहीं किया गया है अतः अपीलाधीन वस्तु "पॉलीस्टर फिल्म" का निर्वचन संदर्भ एवं इस वस्तु का ट्रेड करने वालो द्वारा जिस रूप में समझा जाता है उसके अनुरूप किया जाना चाहिये। इस क्रम में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सामान्य रूप में विक्रीत वस्तु किस प्रयोजनार्थ क्रय-विक्रय की जा रही है का विवेचन आवश्यक माना गया है।

13. अपीलीय अधिकारी के अनुसार सनकंट्रोल फिल्म "सेल्फ एडहेसिव फिल्म से अलग अन्तिम उत्पाद है जो कि अवशिष्ट प्रविष्टि में आता है। अपीलार्थी द्वारा विक्रीत सनकंट्रोल इन्टरनेशनल लाईट विंडों फिल्मस (पॉलिस्टर फिल्म) केन्द्रीय मोटर विकल्स नियम 1989 की धारा 100(2) में विहित मानदण्डों को पूरा करती है। अतः विक्रीत उत्पाद विशिष्ट रूप से मोटर वाहनों के लिये निर्मित होने तथा इसकी प्रकृति तथा कॉमन एवं कॉमर्शियल/ट्रेड पारलैन्स में इससे कार की एसेसरीज के रूप में जाना जाता है। अतः इस पर अधिनियम की अनुसूची V के अधीन 12.5 प्रतिशत से कर दायित्व है। अपीलीय अधिकारी का यह भी मानना है कि अधिनियम की अनुसूची IV के पार्ट बी की प्रविष्टि संख्या 225 एक Exhaustive प्रविष्टि है। जिसमें आने वाली सभी चीजें विद्युत के कुचालक है। इस संदर्भ में प्रविष्टि का Harmonius construction करने पर यह स्पष्ट होता है कि पॉलिस्टर फिल्म जो इन वस्तुओं के समान ही विद्युत कुचालक होगी तब ही इस प्रविष्टि के अधीन 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्वाधीन होगी। एवं अपीलार्थी द्वारा विक्रीत पॉलीस्टर फिल्म के विद्युत कुचालक होने के संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य अपील स्तर पर प्रस्तुत नहीं किये गये है। एवं उक्त विक्रीत पॉलीस्टर फिल्म को अनुसूची V जो की अवशिष्ट वस्तुओं के कर दर से संबंधित है में सम्मिलित माना है। तदनुसार उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त पॉलीस्टर फिल्म के उपयोग व प्रकृति के दृष्टिगत उक्त पॉलिस्टर फिल्म (सन कंट्रोल इन्टरनेशनल लाईट विंडों फिल्मस) 4 प्रतिशत की बजाय 12.5 प्रतिशत कर दायित्व की पुष्टि की गई है।

14. विवादित सन कंट्रोल इन्टरनेशनल लाईट विंडों फिल्मस जो कि पॉलिस्टर फिल्म है के संबंध में कोई विवाद नहीं है, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा इसके उपयोग एवं प्रकृति के आधार पर उच्चतर कर दायित्वता अवधारित की गई है, के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 225 का अध्ययन करना उचित रहेगा जो कि निम्न प्रकार से है :-

S.No.	Description of goods	Rate of Tax
225	Insulating marterials, that is to say, insulating varnish, insulating tape, polyester film , leatherized paper, empire and fibre glass cloth and empire and fibre glass sleeve.	5 %

अनूसूची IV के पार्ट बी की प्रविष्टि संख्या 225 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इसमें पॉलीस्टर फिल्म का अंकन है जिसमें किसी भी प्रकार की शर्तें यथा विस्तार अथवा संकुचन नहीं किया गया है। वस्तुओं की प्रविष्टियों का निर्वचन करते समय जो प्रविष्टि अंकित है उसमें न तो कुछ जोड़ा जावे न कुछ कम पढ़ा जावे ऐसे सिद्धान्त के संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालयों के कई फैसले दृष्टव्य है :-

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, चण्डीगढ़ बनाम मैसर्स दोआब स्टील रोलिंग मिल्स, सिविल अपील क्रमांक 3400 ऑफ 2003 निर्णय दिनांक 06.04.2011 में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया गया है :-

“.....the principle that a taxing statute should be strictly construed is well settled. It is equally true that the intention of the Legislature is primarily to be gathered from the words used in the statute. Once it is shown that an assessee falls within the letter of the law, he must be taxed however great the hardship may appear to the judicial mind to be.”

(ii) उक्त वर्णित न्यायिक निर्णय में इस संबंध में कराधान के सिद्धान्तों की व्याख्या को सुस्पष्ट करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व में निर्णित निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित विधि को निम्न प्रकार अंकित किया है :-

On the principles of interpretation of taxing statutes, the following passage from the opinion of Late Rowlatt, J. In *cape Brandy Syndicate Vs. Inland Revenue Commissioner's* 1921(1) K.B. 64, 71 has become the locus classicus and has been quoted with approval in a number of decisions of this court.

“.....in a taxing act, one has to look merely at what is clearly said. There is no room for any intendment. There is no equity about a tax. There is no presumption as to a tax. Nothing is to be read in, nothing is to be implied. One can only fairly at the language used”

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त *Commissioner of Sales Tax, Uttar Pradesh Vs. The Modi Sagar Mills Ltd.* (1961) 2 SCR 189 में J.C.Shah, J. की अभिव्यक्तियों को निम्न प्रकार अंकित किया है :-

“In interpreting a taxing statute, equitable considerations are entirely out of place. Nor can taxing statutes be interpreted on any presumptions or assumptions. The court must look squarely at the words of the statute and interpret them. It must interpret a taxing statute in the light of what is clearly expressed, it cannot imply anything which is not expressed, it cannot import provisions in the statutes so as to supply any assumed deficiency.”

(iv) इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त *Maturam Agarwal Vs. State of Madhya Pradesh*, (1999) 8 एससीसी 667 में न्यायतमूर्ति D.P. Mahapatra, ने संवैधानिक पीठ की ओर से निम्न प्रकार अवधारित किया है:-



- 26/2

“The intention of the legislature in a taxation statute is to be gathered from the language of the provisions particularly when the language is plain and unambiguous. In a taxing Act it is not possible to assume any intention. Or governing purpose of the statute more than what is stated in the plain language. It is not the economic results sought to be obtained by making the provision which is relevant in interpretation a fiscal statute. Equally impermissible is an interpretation which does not follow from the plain, unambiguous language of the statute. Words cannot be added to or substituted so as to give a meaning to the statute which will serve the spirit and intention of the legislature. The statute which will serve the spirit and intention of the legislature. The statute should clearly and unambiguously convey the three components of the tax law i.e. the subject of the tax, the person who components of the tax law i.e. the subject of the tax, the person who is liable to pay the tax and the rate at which the tax is to be paid. If there is any ambiguity regarding any of these ingredients in a taxation statute then there is no tax in law. Then it is for the legislature to do the needful in the matter.”

(v) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स मयूरी यीस्ट इण्डिया (प्रा.) लि. व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य 9 वैंट रिपोर्ट 190 में निम्न प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

“It is now a well settled law that in interpreting a different entries, attempts shall be made to find out as to whether the same answers the descriptions of the contents of the basic entry and only in the event it is not possible to do so, recourse to the residuary entry should be taken by way of last resort.”

कराधान प्रावधानों की भाषा में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होने की स्थिति में अपीलार्थी द्वारा नीचे उद्धरित न्यायिक निर्णयों के आलोक में अन्य अर्थ निर्वचना करना अविधिक होगा -

(vi) (2002) 4 SCC 297 Grasim Industries Ltd. Vs. Collector of Customs, Bombay 10.....The elementary principle of interpreting any word while considering a statute is to gather the mens or sentential legis of the legislature. Where the words are clear and there is no obscurity, and there is no ambiguity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to take upon itself the task of amending or alternating (sic altering) the statutory provisions. Wherever the language is clear the intention of the legislature is to be gathered from the language used. While doing so, what has been said in the statute as also what has not been said has substitution of words or which results in rejection of words has to be avoided.”

(vii) (2011) 4 S.C.C. 266 B.Premanand and Others Vs. Mohan Koikal and Others
“The literal rule of interpretation really means that there should be no interpretation. In other words, we should read the statute as it is, without distorting or twisting its language.”

(viii) (2001) 4 S.C.C. 534 Gurudevdatla Vksa Maryadit & Ors. Vs. State of Maharashtra & Ors.

“It is a cardinal principle of interpretation of statute that the words of a statute must be understood in their natural, ordinary or popular sense and construed according to their grammatical meaning, unless such construction leads to some absurdity or unless there is something in the context or in the object of the statute to suggest to the contrary. The golden rule is that the words of a statute must prima facie be given their ordinary meaning. It is yet another rule of construction that when the words of the statute are clear, plain and unambiguous, then the courts are bound to give effect to that meaning, irrespective of the consequences. It is said that the words themselves best declare the intention of the law giver. The courts have adhered to the principle that efforts should be made to give meaning to each and every word used by the legislature and it is not a sound principle of construction to brush aside words in a statute as being inapposite surpluses, if they can have a proper application in circumstances conceivable within the contemplation of the statute.”

(ix) माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय ने मैसर्स नागेश ट्रेडर्स बनाम जोइंट कमीश्नर 124 एसटीसी पृष्ठ 402 में कर विधियों के अभिनिर्धारण में निम्न प्रकार से अवधारण किया है :-

“We do not think that it is fair to so interpret a taxing statute as to impute an intention to the Legislature to go on taxing what is virtually the same product in different forms over and over again. Such a result would be contrary to basic axioms of taxation. Unless the language of the taxing statute was absolutely clear, it, should not be given an obviously unfair interpretation against the assessee.”


15. उपरोक्त समस्त निर्णयों में अवधारित सिद्धान्तों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर विधियों में जो शब्द विधि में प्रयुक्त किये गये हैं उनमें न तो कुछ जोड़ा जा सकता है न ही अन्यथा निर्वचन किया जा सकता है अर्थात् जहां पर कोई प्रविष्टि स्पष्ट तौर पर अंकित है तो उसको उपयोग अथवा प्रकृति यथा उक्त वस्तु किस कार्य में प्रयुक्त की जावेगी अथवा वह सुचालक अथवा कुचालक है, के आधार पर निर्वचन नहीं किया जा सकता है। अतः अधिनियम की अनुसूची IV के “ब” भाग में वर्णित प्रविष्टि संख्या 225 में इन्सुलेटर सामग्री जिसमें “पॉलीस्टर फिल्म” सम्मिलित है, को अन्यथा निर्वचित कर करारोपण किया जाना अनुचित ठहरता है। व्यवहारी अपीलार्थी ने अपनी विवरण प्रपत्रों में पॉलिस्टर फिल्म की बिक्री अंकित की है जो कि भवन निर्माताओं को विंडोज में सूर्य की किरणों को अवरोधित करने हेतु उपयोग हेतु की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उक्त विवादित वस्तु “पॉलीस्टर फिल्म” जिसका सैम्पल भी इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, को “पॉलिस्टर फिल्म” माना गया है।


- 362

16. अतः उपरोक्त विवेचन एवं माननीय न्यायालयों द्वारा कराधान हेतु निर्वचन के संबंध में दिये गये निर्णयों के अवलोकन के पश्चात हम यह उचित मानते हैं कि विवादित वस्तु अधिनियम की अनुसूची IV के "ब" भाग में वर्णित प्रविष्टि संख्या 225 में इन्सुलेटर सामग्री जिसमें "पॉलीस्टर फिल्म" स्पष्ट तौर पर सम्मिलित है, के अन्तर्गत होने से 4 प्रतिशत तदनुरूप कर योग्य होगी।

17. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

18. आदेश प्रसारित किया गया।


(मदन लाल)
सदस्य


(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष